न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0 ..../2014

R 3227 II/14

1— समीम अहमद पिता श्री अब्दुल महबूब उम्र 54 वर्ष
2— इकबाल अहमद पिता श्री अब्दुल महबूब उम्र 45 वर्ष
3— निशार अहमद पिता श्री अब्दुल महबूब उम्र 43 वर्ष
4— जमीला बेगम बेवा स्व0 मोहम्मद इस्लाम उम्र 30 वर्ष
5— सिकन्दर बक्स पिता श्री मोहम्मद इस्लाम उम्र 30 वर्ष सभी निवासी गढिया टोला सतना तह0 रघु0 जिला सतना म0प्र0....निगराकारगण

बनाम

1— संतोष कुमार द्विवेदी पिता श्री लालजी द्विवेदी उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी उमरी सतना तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0
2— शासन म0प्र0 ....गैर निगराकारगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20/8/2014 राजस्व प्रकरण क0 63 अ12रु/2009-10 न्याायलय श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त रैगाव तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मुकेश मालवि, 23-9-14

मुकेश मालवि 23-9-14 एडवोकेट ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकारगण उक्त निगरानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत कर विनयी है :—

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य

1) यह कि निगराकारगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कब्जे एव स्वामित्व की अराजी नं0 288/4 , 295/4 , 298/4 , 298/834/4 कुल किता 4 जुमला रकवा 4.44 ए0 स्थित मौजा अमौधाकला तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0 की अराजी के सबध मे सीमाकन हेतु आवेदन पत्र. प्रस्तुत किये थे और उक्त आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व न्याायलय के आदेशानुसार मौके से सभी सरहद्दी कास्तकारो एव गैर निगराकार की उपस्थिति मे पुस्तैनी सीमा चिन्हो के आधार पर सीमांकन किया गया था और उक्त सीमांकन मे निगराकारगणो के कब्जे एव स्वामित्व की आराजी का सीमा चिन्ह गाडकर सीमाकन किया गया था । सीमाकन के आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला—सतना

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3227—दो / 2014

समीम अहमद आदि विरूद्ध संतोष कुमार व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त रैगाव, तहसील रघुराजनगर, जिला—सतना के प्रकरण क्रमांक 63 / अ—12 / 2009—10 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20—08—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, जिला—सतना को प्रत्यायोजित कियां जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	